

राज्यालयः श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडण्ड ग्वालियर (सर्किट कोट) रीवा जिला
रीवा (मप्र.)



ती कैलाश वती गुप्ता पत्नी स्व. श्री मनसुख लाल गुप्ता आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम समान (पृ. 3१)-
क्र. 15 शिल्पी सीमेन्ट के सामने गली न. 3 तहसील हुजूर थाना समान जिला रीवा म.प्र.

—आवेदिका

क लाल गुप्ता तनय स्व. श्री कन्हैया लाल गुप्ता आयु 43 वर्ष कन्हैया मेडिकल स्टोर
सी ग्राम चुरहट पो. चुरहट थाना चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) अनावेदक

आवेदन पत्र वाबत् भूमि नं. 1085/1/10 एवं 1085/1/11 एवं
1085/1/15 स्थित ग्राम चुरहट पटवारी हल्का चुरहट रा. नि. मं
चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) की बस्तु स्थिति जॉच
कराकर सही स्थिति का आदेश पारित किये जाने व रिकार्ड
संधार किये जाने का आदेश पारित करने हेतु।

आवेदन — पत्र स्व-प्रेरणा निगरानी अन्तर्गत धारा 50 सहपठित
धारा 32 म.प्र. भ. रा. स. 1959 ई.

मान्यता / महोदय

२६

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवाति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक

Q-S231/II/16/मृदा/१

मृदा/शब्दाली/१५१३०/८०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29-1-19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रामनाथा नगरी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक - <u>द्वारा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>१३/४१-४१-४१/१३-१४</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२४-११-१४</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - <u>मृदा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२२-१-१९</u> को कलेक्टर जिला - <u>मृदा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> 	